

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्र.पत्र/86/2013

दर्ज दिनांक:- 20.09.2013

1. बृजलाल पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. राजेन्द्रसिंह पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रतापसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक



निर्णय

दिनांक:-07.02.2018

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है मूलदावा अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है। अतः यह प्रार्थना पत्र u/s 212 RTA भी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली में न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2013 को जारी एक पक्षीय स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर